**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 363**
**दिनांक 03 दिसम्बर 2025 / 12 अग्रहारण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए**

**भारत में दवाओं के अत्यधिक इस्तेमाल (ओवरडोज़) के कारण बढ़ती मौतें**

**363 श्री एस. निरंजन रेड्डीः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ो के अनुसार, वर्ष 2023 के लिए दी गई जनकारी के अनुसार, भारत में हर हफ्ते दवाओं के अत्यधिक इस्तेमाल (ओवरडोज़) के कारण 12 लोगों की मौत हो जाती है;**

**(ख) क्या एनसीआरबी अवैध स्वापक पदार्थों, प्रिस्क्रिप्शन/ओटीसी दवाओं और अन्य पदार्थों के होने वाले अत्यधिक इस्तेमाल (ओवरडोज़) के बीच अंतर करता है;**

**(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार स्वापक पदार्थों, प्रिस्क्रिप्शन दवाओं और अन्य नशीले पदार्थों के होने वाले अत्यधिक इस्तेमाल (ओवरडोज़) के बीच अंतर करने के लिए वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पद्धतियों को परिष्कृत करने का विचार रखती है; और**

**(घ) देश में ओवरडोज़ के कारण होने वाली मृत्यु की दर को कम करने के लिए निगरानी, रिपोर्टिंग सटीकता, फोरेंसिक जांच, जागरुकता और पुनर्वास को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री नित्यानंद राय)**

(क): वर्ष 2023 से संबंधित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित नवीनतम आकड़ों के अनुसार, देश में वर्ष 2021 से 2023 के दौरान दवाओं के अत्यधिक इस्तेमाल (ओवरडोज) के कारण हुई मौतों का ब्योरा निम्नानुसार है:-

| वर्ष | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| कुल | 737 | 681 | 654 |

स्रोत: एनसीआरबी

**राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 363, दिनांक 03.12.2025**

(ख) से (घ): एनसीआरबी अवैध स्वापक पदार्थों, प्रिस्क्रीप्शन/ओटीसी दवाओं और अन्य पदार्थों के अत्यधिक इस्तेमाल (ओवरडोज) के बीच अंतर नहीं करता है। स्वापक पदार्थों, प्रिस्क्रिप्शन दवाओं और अन्य नशीले पदार्थों के अत्यधिक इस्तेमाल (ओवरडोज) के बीच अंतर करने के लिए वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पद्धतियों को परिष्कृत करने हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं अन्य विशेषज्ञों से परामर्श जारी है।

*****